न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :— 81/2021

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. हरजीराम पुत्र श्री भोलाराम 2. रतनलाल पुत्र श्री भोलाराम 3. राजेन्द्र पुत्र श्री पेमाराम, 4. माधवसिंह पुत्र श्री पेमाराम 5. बींजाराम पुत्र श्री पेमाराम, जातियान सीरवी (गहलोत) निवासीगण बेरा गहलोतो का रेतिया, उचियार्डा, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.		1. गीतादेवी पत्नी श्री रामलाल 2. प्रदीप पुत्र श्री रामलाल 3. पिंकी पुत्री श्री रामलाल जातियान सीरवी (सेपटा) निवासीगण बेरा सेपटों की ढीमड़ी दर्जियों की प्याऊ के पास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955
बाबत् घोषणा खातेदारी

उपस्थिति :— वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :—**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1410 रकबा 1.8526 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम आई हुई है, जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के अनुसार 513 है। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में मुकना, पूना, सूरा पिसरान उंकारराम कौम सीरवी की खातेदारीसुदा थी। खातेदार मुकना फौत होने पर जरिये म्यूटेशन संख्या 1044 द्वारा खातेदार मुकना के स्थान पर घीसाराम, किशनाराम, भगवानसिंह पिसरान मुकनाराम का नाम दर्ज किया तथा म्यूटेशन संख्या 1432 द्वारा भगवानसिंह व किशनाराम के स्थान पर घीसाराम का नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि में घीसाराम का 1/3 हिस्सा, पूनाराम का 1/3 हिस्सा व सूराराम का 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ। खातेदार घीसाराम द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित अपने 1/3 हिस्से की भूमि में से 11/38 वॉ हिस्सा प्रतिवादीगण के पति/पिता रामलाल को व 27/38 वॉ हिस्सा वादी संख्या 1 व 2 के पिता भोलाराम व वादी संख्या 3 से 5 के पिता पेमाराम दोनो को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 02.01.1986 को बैचान किया। यानि खातेदार घीसाराम द्वा[illegible] वादग्रस्त कृषि भूमि में से 11/114 वॉ हिस्सा प्रतिवादीगण के पति/पिता रामलाल को व 27/114 वॉ हिस्सा वादी संख्या 1 व 2 के पिता भोलाराम व वादी संख्या 3 से 5 के पिता पेमाराम दोनो को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 02.01.1986 को बैचान किया। खातेदार पूनाराम व सूराराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:42 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित अपना 1/3 + 1/3 = 2/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 02.01.1986 को वादी संख्या 1 व 2 के पिता भोलाराम व वादी संख्या 3 से 5 के पिता पेमाराम को बैचान किया। इस प्रकार वादी संख्या 3 से 5 के पिता पेमाराम जी व वादी संख्या 1 व 2 के पिता भोलाराम जी का वादग्रस्त कृषि भूमि में 2/3 + 27/114 = 103/114 वॉ हिस्सा जरिये उपरोक्त दोनो रजिस्टर्ड बैचाननामों द्वारा खरीद किया व प्रतिवादीगण के पिता/पति रामलाल द्वारा 11/114 वॉ हिस्सा जरिये उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा द्वारा खरीद किया। खरीदसुदा 103/114 वॉ हिस्सा में से भोलाराम जी का 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से 103/228 वॉ हिस्सा व खरीदसुदा 103/114 वॉ हिस्से में से पेमाराम जी का 1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से 103/228 वॉ हिस्सा बनता है। वादी संख्या 3 से 5 के पिता पेमाराम जी व वादी संख्या 1 व 2 के पिता भोलाराम जी का स्वर्गवास हो चुका है तथा हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार भोलाराम जी के 103/228 वॉ हिस्सा में से वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा व सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 हरजीराम का 103/456 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 रतनलाल का 103/456 वॉ हिस्सा तथा पेमाराम जी के 103/228 वॉ हिस्से में से वादी संख्या 3 से 5 प्रत्येक का 1/3–1/3–1/3 वॉ हिस्सा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादी संख्या 3 राजेन्द्र का 103/684 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 4 माधवसिंह का 103/684 वॉ हिस्सा व वादी संख्या 5 बींजाराम का 103/684 वॉ हिस्सा प्राप्त हुआ। उपरोक्त वर्णित हिस्से के अनुसार वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज व काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के नाम से दर्ज नही है, क्योकि वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में दोनो रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 1506 दर्ज व स्वीकृत करते समय वादी संख्या 1 व 2 के पिता भोलाराम जी, वादी संख्या 3 से 5 के पिता पेमाराम जी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पति/पिता रामलाल जी के नाम रजिस्टर्ड बैचाननामा में वर्णित हिस्से के अनुसार दर्ज न कर बराबर–बराबर हिस्सों के रूप में दर्ज कर दिया तथा उक्त म्यूटेशन संख्या 1506 के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि भोलाराम जी, पेमाराम जी व रामलाल जी के नाम से बराबर–बराबर हिस्से के रूप में दर्ज चली आ रही थी तथा भोलाराम जी व पेमाराम जी फौत होने पर वादीगण को कानून की जानकारी नही होने पर वादीगण द्वारा भोलाराम जी व पेमाराम जी का फौतेगी म्यूटेशन व अपनी बहनों का हकतर्क वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज चले आ रहे इन्द्राज के अनुसार करवाया। म्यूटेशन संख्या 1506 दोनो रजिस्टर्ड बैचाननामा में वर्णित हिस्से के अनुसार स्वीकृत नही किया हुआ होने के कारण शून्य व अवैध है तथा ऐसे शून्य व अवैध म्यूटेशन से वादग्रस्त कृषि भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:42 IST
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 3 से 5 के पिता पेमाराम जी व वादी संख्या 1 व 2 के पिता भोलाराम जी का उक्त दोनो रजिस्टर्ड बैचाननामा के जरिये खरीदसुदा कुल हिस्सा 103/114 के सम्बंध में प्राप्त हक व अधिकार कानूनन समाप्त नही होते है तथा भोलाराम जी व पेमाराम जी के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त दोनो रजिस्टर्ड बैचाननामा के जरिये भोलाराम जी व पेमाराम जी के खरीदसुदा कुल 103/114 वॉ हिस्से के सम्बंध में वादीगण को जरिये हिन्दू उतराधिकार कानून के तहत प्राप्त हक व अधिकार भी समाप्त नही होते है। म्यूटेशन के सम्बंध में स्पष्ट कानून है कि म्यूटेशन न तो किसी को अधिकार प्रदान करते है व न ही म्यूटेशन से किसी के अधिकार समाप्त होते है। इसलिए म्यूटेशन संख्या 1506 भोलाराम जी, पेमाराम जी व रामलाल जी के नाम से बराबर–बराबर हिस्से के रूप में दर्ज व स्वीकृत किये जाने से भोलाराम जी, पेमाराम जी के दोनो रजिस्टर्ड बैचाननामा के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि में खरीदसुदा कुल 103/114 वॉ हिस्से के सम्बंध में प्राप्त हक व अधिकार समाप्त नही होते है। इस प्रकार भोलाराम जी व पेमाराम जी दोनो को वादग्रस्त कृषि भूमि में से दोनो रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर कुल 103/114 वॉ हिस्सा प्राप्त हुआ जिसमें से भोलाराम जी को 103/228 वॉ हिस्सा व पेमाराम जी को 103/228 वॉ हिस्सा प्राप्त हुआ। तथा भोलाराम जी व पेमाराम जी के निर्वसीयत फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार भोलाराम जी के 103/228 वॉ हिस्सा में से वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा व सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 हरजीराम का 103/456 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 रतनलाल का 103/456 वॉ हिस्सा तथा पेमाराम जी के 103/228 वॉ हिस्से में से वादी संख्या 3 से 5 प्रत्येक का 1/3–1/3–1/3 वॉ हिस्सा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादी संख्या 3 राजेन्द्र का 103/684 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 4 माधवसिंह का 103/684 वॉ हिस्सा व वादी संख्या 5 बींजाराम का 103/684 वॉ हिस्सा प्राप्त हुआ परन्तु उपरोक्त हिस्से के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नही है। जबकि वादीगण उपरोक्त वर्णित हिस्से के अनुसार खातेदारी अपने नाम से घोषित करवाने के कानूनन अधिकारी है। वादीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित हिस्से के अनुसार दोनो रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर खातेदारी उनके नाम दर्ज नही होने पर वादीगण द्वारा दिनांक 25.04.2021 को प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर उपरोक्त हिस्से के अनुसार वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादीगण से समझाईश की परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किये जाने से वादीगण को मना कर दिया। इसलिए उपरोक्त वर्णित हिस्से के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण के नाम से खातेदारी घोषित किये जाने हेतु यह वाद बाबत खातेदारी घोषणा की माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादकारण दिनांक 20.01.1986 को वादग्रस्त कृषि भूमि का म्यूटेशन दोनो रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:42 IST
Reason: SelfAttested

बैचाननामा में वर्णित हिस्से के अनुसार तत्कालीन तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा स्वीकृत नही करने पर, वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि दोनो रजिस्टर्ड बैचाननामा में वर्णित हिस्से के अनुसार वादीगण के पिता भोलाराम जी व पेमाराम जी के नाम से व उनके स्वर्गवास के बाद वादीगण के नाम से दर्ज नही होने पर दिनांक 25.04.2021 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि रजिस्टर्ड बैचाननामा में वर्णित हिस्से के अनुसार वादीगण के नाम से दर्ज करवाने हेतु कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा दर्ज करवाने से मना करने पर वादकारण ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1410 रकबा 1.8526 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम में से वादी संख्या 1 हरजीराम को 103/456 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 2 रतनलाल को 103/456 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 3 राजेन्द्र को 103/684 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 4 माधवसिंह को 103/684 वॉ हिस्से का व वादी संख्या 5 बींजाराम को 103/684 वॉ हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 गीतादेवी को 11/342 वॉ हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप को 11/342 वॉ हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 3 पिंकी को 11/342 वॉ हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा/प्रतिवादी संख्या 4 को आदेश दिया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उपस्थिति हेतु अवसर प्रदान किये गये लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्वयं अथवा इनकी ओर से कोई पैरोकार उपस्थित नही होने से तारीख पेशी 12.10.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरावाईज जवाब किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक न 1 की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 1410 रकबा 1.8526 हैक्टेयर भूमि किस्म चाही प्रथम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 513 में दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खसरा नम्बर 1410 रकबा 1.8526 हैक्टेयर जो गीतादेवी पत्नी रामलाल 1/6, प्रदीप पुत्र रामलाल 1/6, पिंकी पुत्री रामलाल 1/6, बीजाराम पुत्र पेमाराम 1/12, माधवसिंह पुत्र पेमाराम 1/12, राजेन्द्र पुत्र पेमाराम 1/12, रतनलाल पुत्र भोलाराम 1/8, हरजीराम पुत्र भोलाराम 1/8 जाति सीरवी सा. देह दर्ज है। व बींजाराम का हिस्सा रहन एस.बी.बी.जे. बिलाड़ा दर्ज है। पूर्व में खसरा नम्बर 1410 मुकनाराम, पूनाराम, सूराराम पि. ऊंकारराम के नाम दर्ज था। नामान्तरकरण संख्या 1044 मुकनाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:42 IST
Reason: SelfAttested

के फौत होने से घीसाराम, किसनाराम, भगवानराम पि. मुकनाराम दर्ज हुआ। नामा. सं. 1432 के जरिये किसनाराम व भगवानराम द्वारा हकतर्क के जरिये घीसाराम पुत्र मुकनाराम का अंकन हुआ। नामा. सं. 1506 के जरिये बैचान विक्रेता घीसाराम पुत्र मुकनाराम, पूना, सूरा पि. ऊंकार जाति सीरवी के स्थान पर क्रेता भोलाराम, पेमाराम पि. गजाराम सीरवी, रामलाल पुत्र घीसाराम जाति सीरवी सा. देह खसरा नम्बर 1410 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा दर्ज हुआ। बैचान दस्तावेज दिनांक 02.01.1986 पु.स. 1 जिल्द सं. 19 पृ.स. 95 की क्रम सं. 6 पर पंजीबद्ध में विक्रेता पूनाराम, सूराराम पि. ऊंकारराम क्रेता भोलाराम, पेमाराम पिसरान गजाराम सीरवी के पक्ष में खसरा नम्बर 1410 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा का 2/3 हिस्सा किया गया एवं बैचान दस्तावेज दिनांक 02.01.1998 पु.स. 1 जिल्द संख्या 19 की पृ.स. 97 की क्र.स. 8 पर पंजीबद्ध में विक्रेता घीसाराम पुत्र मुकनाराम, क्रेता भोलाराम, पेमाराम पिसरान गजाराम 27/38, रामलाल पुत्र घीसाराम 11/38 के पक्ष में खसरा नम्बर 1410 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा का 1/3 हिस्सा किया गया। वक्त जमाबन्दी सेग्रीगेशन बैचान दस्तावेज अनुसार हिस्से का वर्गीकरण नही हुआ। वर्तमान जमाबन्दी में सहखातेदारों के हिस्सा डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत जमाबन्दी सेग्रीगेशन में दर्ज हुए है। पद संख्या 5 से 7 कानूनी है। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नम्बर 1410 रकबा 1.8526 हैक्टेयर यानि 11 बीघा 09 बिस्वा में वादी संख्या 1 हरजीराम का 103/456, वादी संख्या 2 रतनलाल का 103/456, वादी संख्या 3 राजेन्द्र का 103/684, वादी संख्या 4 माधवसिंह का 103/684, वादी संख्या 5 बींजाराम का 103/684 तथा प्रतिवादी संख्या 1 गीतादेवी का 11/342, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप का 11/342, प्रतिवादी संख्या 3 पिंकी का 11/342 हिस्से का माफिक बैचान दस्तावेज अनुसार अनुतोष चाहा गया है। जिसमें भूमिधारी की सहमति है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने से तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से दुरूस्ती हेतु सहमति जाहिर किये जाने से तनकीयात की आवश्यकता नही रही। वादी की ओर से स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 1 पेश किया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में चालु जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खसरा संख्या 1410 बिलाड़ा चक नम्बर 1 प्रदर्श 1, जमाबन्दी संवत् 2034 से 2037 खसरा संख्या 1410 बिलाड़ा चक नम्बर 1 प्रदर्श 2, जमाबन्दी संवत् 2038 से 2041 खसरा संख्या 1410 बिलाड़ा चक नम्बर 1 प्रदर्श 3, जमाबन्दी संवत् 2043 से 2047 खसरा संख्या 1410 बिलाड़ा चक नम्बर 1 प्रदर्श 4, जमाबन्दी संवत् 2053 से 20[illegible] खसरा संख्या 1410 बिलाड़ा चक नंबर 1 प्रदर्श 5, रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 02.01.1986 पूनाराम, सूराराम बहक भोलाराम, पेमाराम प्रदर्श 6, रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 02.01.1986 घीसाराम बहक भोलाराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:42 IST
Reason: SelfAttested

पेमाराम व रामलाल प्रदर्श 7, म्यूटेशन संख्या 1506 ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये।

वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर व प्रतिवादी संख्या 4 की दुरूस्ती के सम्बंध में सहमति के आधार पर राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1410 रकबा 1.8526 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम में से वादी संख्या 1 हरजीराम को 103/456 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 2 रतनलाल को 103/456 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 3 राजेन्द्र को 103/684 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 4 माधवसिंह को 103/684 वॉ हिस्से का व वादी संख्या 5 बींजाराम को 103/684 वॉ हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 गीतादेवी को 11/342 वॉ हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप को 11/342 वॉ हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 3 पिंकी का 11/342 वॉ हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1410 रकबा 1.8526 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम में से वादी संख्या 1 हरजीराम को 103/456 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 2 रतनलाल को 103/456 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 3 राजेन्द्र को 103/684 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 4 माधवसिंह को 103/684 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 5 बींजाराम को 103/684 वॉ हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 गीतादेवी को 11/342 वॉ हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप को 11/342 वॉ हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 पिंकी का 11/342 वॉ हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:42 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे **इब्तदाई**

(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. हरजीराम पुत्र श्री भोलाराम 2. रतनलाल पुत्र श्री भोलाराम 3. राजेन्द्र पुत्र श्री पेमाराम, 4. माधवसिंह पुत्र श्री पेमाराम 5. बींजाराम पुत्र श्री पेमाराम, जातियान सीरवी (गहलोत) निवासीगण बेरा गहलोतो का रेतिया, उचियार्डा, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.		1. गीतादेवी पत्नी श्री रामलाल 2. प्रदीप पुत्र श्री रामलाल 3. पिंकी पुत्री श्री रामलाल जातियान सीरवी (सेपटा) निवासीगण बेरा सेपटों की ढीमड़ी दर्जियों की प्याऊ के पास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज. 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 81/2021

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू मेरे व हाजिर श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 1 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1410 रकबा 1.8526 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम में से वादी संख्या 1 हरजीराम को 103/456 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 2 रतनलाल को 103/456 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 3 राजेन्द्र को 103/684 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 4 माधवसिंह को 103/684 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 5 बींजाराम को 103/684 वॉ हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 गीतादेवी को 11/342 वॉ हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप को 11/342 वॉ हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 पिंकी का 11/342 वॉ हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:42 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:42 IST
Reason: SelfAttested